न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ (जयपुर)

प्रार्थना पत्र संख्या - 76/2012

1- लक्ष्मण पुत्र बद्रीनारायण
2- लल्लू पुत्र लक्ष्मण
समस्त जाति मीणा निवासी मेदराजसिंहपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

.... प्रार्थीगण

बनाम

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर
2- जगदीश पुत्र भैरू
3- कन्हैयालाल पुत्र भैरू
4- राकेश कुमार पुत्र स्व० भगवान सहाय
5- रामजीलाल पुत्र कल्याण सहाय
6- बाबूलाल पुत्र कल्याण सहाय
7- छोटीदेवी पत्नि कल्याण सहाय
समस्त जाति मीना निवासी ग्राम मेदराजसिंहपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती अन्तर्गत धारा-131, 132 सपठित धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक 05/01/2018

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 सपठित धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षेप

P.T.O. →

में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि हाल खसरा नं. 44 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मु० पाइ, खसरा नं०-45 रकबा 1.10 हैक्ट. ग्राम मेदराज सिंहपुरा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित है। हाल सर्वे से पूर्व उक्त खसरा नं० 44 के पुराने नम्बर 30 एवं खसरा नं० 45 के पुराने नम्बर 31 थे।

प्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा नं० 44, 45 का नये सर्वे में गलत नक्शा कायम किया गया है जो मौके पर कब्जे अनुसार नहीं है। ना ही वास्तविकता स्थिति के अनुरूप है। प्रार्थीगण की भूमि का जो नक्शा कायम किया गया है उसको कम करके दिखाया गया है जिसे संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है, उक्त भूमि के रकबे का खसरा नं 116 में दर्शित कर दिया गया। गलत नक्शा बनाया गया जो क्षेत्राधिकार विहीन कार्यवाही है।

उक्त प्रकार से प्रार्थीगण की भूमि का जो नवीन नक्शा बनाया गया है वह वास्तविकता से परे है। मौके पर जिस प्रकार प्रार्थीगण का कब्जा उसके अनुरूप नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खसरा नं 44, 45 के नक्शे को दुरुस्त कर संलग्न नजरी के अनुरूप रिकार्ड में दर्ज रकबे के अनुसार लाल रंग से दर्शित स्थान को खसरा नं 45 में शामिल कर और खसरा नं 116 में से कम किया जाकर खसरा नं 45 का नक्शा कायम किया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी अप्रार्थी को जारी की गई। दिनांक 1/7/16 को प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 C.P.C पेश किया जिसे स्वीकार किया गया। संशोधित आवेदन को 4 प्रावली के रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 26/5/17 को तहसीलदार जमवारामगढ़

P.T.O →

जो अपने पत्रांक 113 दिनांक 20/4/17 के द्वारा आपत्ति प्रस्ताव पेश किया जिसमें अंकित किया कि प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं 1 सही व स्वीकार किया। 2 को आंशिक रूप से स्वीकार कर अंकित किया कि वर्तमान में उपलब्ध नये व पुराने नक्शों अनुसार ख0नं0 45 की पूर्वी दिशा एवं पश्चिमी दिशा तरफ गत नक्शे के मुकाबले नये नक्शे में परिवर्तन है। जिसे संलग्न नक्शे में हरी स्याही से दिखाया गया है। संशोधन किया जाना प्रस्तावित बताया है।

दिनांक 5/1/18 को प्रार्थी वकील ने संशोधित अनवान पेश किया जिसे पत्रावली के रिकार्ड पर लिया गया। अप्रार्थीगण 2 ता 7 की तामील सुपिरस्ड डाक द्वारा करवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं। अतः उनके विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस सुनने व पत्रावली के अवलोकन कर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 131, 132 सपठित धारा 136 C.P.C को स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार जमवारामगढ को निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थीगण के ख0नं0 45, 44 के नक्शे को दुरस्त कर संलग्न नजरी नक्शे के अनुरूप रिकार्ड में दर्ज रखने के अनुसार लाल स्याही से दर्शित को ख0नं0 45 में शामिल कर और ख0नं0 116 में से कम किया जाकर ख0नं0 45 का नक्शा कायम किया जावे।

पत्रावली फैसला मुताबिक जेर नम्बर से कम हो बाद तर्मिम दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05/01/2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ (जयपुर)